कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज

दिनॉकः 11.12.2023

प्रशासनिक आदेश

कई मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाण्डिक कार्य की अधिकता व कई मजिस्ट्रेट न्यायालय में कम दाण्डिक कार्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश से विचार विमर्श के उपरान्त न्यायिक कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कराने हेतु जनपद के थानों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में पूर्व में पारित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नवत क्षेत्राधिकार वितरित किया जाता हैः-

न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
सी0जे0एम0	थाना कोतवाली, थाना सिविल लाइंस, धारा 302/304/304बी/306/396 भा0दं0सं0 के समस्त गंभीर प्रकृति के आपराधिक वाद/परिवाद, जिन विशेष अधिनियम का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्रदान नही किया गया है, उनके सम्बन्धित समस्त वाद/परिवाद, लोक सेवक के विरूद्ध धारा 156(3)दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र, समस्त टी.आई.चालानी व धारा 207 मोटरयान अधिनियम की चालानी, आबकारी के समस्त सर्किल एवं सेक्टर
स्पे0सी0जे0एम0	थाना दारागंज, थाना मऊआइमा, थाना पूरामुफ्ती, सी0बी0सी0आई0डी0, कम्पनी अधिनियम व अन्य समस्त केन्द्रीय अधिनियम के वाद/परिवाद,पी0डी0ए0 का वाद/परिवाद
ए0सी0जे0एम0 रेलवे	थाना आर0पी0एफ0, थाना जी0आर0पी0
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-2	थाना धूमनगंज, थाना औद्योगिक क्षेत्र, थाना साइबर काइम, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, माप-बाट अधिनियम, समस्त आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वाद/परिवाद, आर.टी.ओ. चालानी
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-5	थाना झूॅसी, थाना कीड़गंज, थाना कौधियारा, थाना थरवई, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के समस्त वाद/परिवाद
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-6	थाना कर्नलगंज, थाना फाफामऊ, थाना सराय ममरेज
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-7	थाना जार्जटाउन, थाना अतरसुइया, थाना करैली, गो-वध अधिनियम, पंचायतराज अधिनियम के समस्त वाद/परिवाद
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-8	थाना उतरॉव, थाना करछना, थाना हंडिया, नगर निगम अधिनियम के समस्त वाद/परिवाद
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-9	थाना शाहगंज, थाना सराय इनायत, थाना मुठ्ठीगंज, थाना नवाबगंज
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-10	थाना मेजा, थाना माण्डा तथा थाना कोतवाली के परिवाद
ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या-14	थाना नैनी व थाना कैन्ट

ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या–15	थाना सोरांव, थाना शंकरगढ़, थाना सिविल लाइंस के परिवाद, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त वाद/परिवाद तथा थाना मऊआइमा के समस्त परिवाद
जे0एम0 कक्ष संख्या–1	किशोर न्यायबोर्ड
जे0एम0 कक्ष संख्या–2	थाना खीरी, थाना कोरांव, थाना बहरिया, थाना खुल्दाबाद तथा थाना पूरामुफ्ती का समस्त परिवाद
जे0एम0 कक्ष संख्या–3	थाना घूरपुर, थाना बारा, थाना लालापुर, थाना होलागढ़, बालश्रम अधिनियम के समस्त वाद/परिवाद तथा थाना दारागंज के समस्त परिवाद
ए0सी0जे0(जे.डि.)/जे0एम0क0सं0–5	थाना फूलपुर
ए0सी0जे0(जे.डि.)/जे0एम0क0सं0–21	थाना शिवकुटी, थाना एयरपोर्ट, महिला थाना, थाना कोतवाली व थाना सिविल लाइंस के महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बन्धित समस्त परिवाद व आपराधिक वाद
ग्राम न्यायालय मेजा	सर्किल मेजा के अन्तर्गत आने वाले थाना मेजा व थाना माण्डा के उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित आपराधिक वाद/परिवाद
ग्राम न्यायालय फूलपुर	तहसील फूलपुर के अन्तर्गत आने वाले थाना फूलपुर, थरवई, बहरिया, सरायइनायत, झूँसी के उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित आपराधिक वाद/परिवाद

1.उपरोक्त दाण्डिक कार्य वितरण आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनोपरान्त तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

2.माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से स्थानान्तरित पत्रावलियों को छोड़कर समस्त थानों की पत्रावलियॉ जिन्हे पूर्व में स्थानान्तरित किया गया था, को सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में कार्यालय लिपिक प्राप्त करायेगे।

3.समस्त दाण्डिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अनुसार समस्त पत्रावलियों को सम्बन्धित न्यायालय के लिपिक को सी.आई.एस. के माध्यम से स्थानान्तरित कर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, कोई भी पत्रावली सी.आई.एस. दर्ज किये बिना न तो प्राप्त की जायेगी, और न ही स्थानान्तरित की जायेगी।

अनुमोदित
11.12.23

जनपद न्यायाधीश
प्रयागराज

(डॉ लकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1.श्रीमान् नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित है कि उपर्युक्त क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आदेश को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड़ करायें।

2.श्रीमान् अध्यक्ष/मंत्री जिला अधिवक्ता संघ, जनपद न्यायालय प्रयागराज

3.आदेश की प्रति केन्द्रीय नाजिर, नजारत अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह उपर्युक्त आदेश को मुख्य सूचना पटल/अधिवक्ता संघ भवन के सूचना पटल/जनपद न्यायालय के मुख्य द्वारों पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज